बिहार सरकार

विधि विभाग

पत्र संख्या-सी0/ई0एच0-79/2011 (खण्ड)-1547../जे0, पटना, दिनांक-24.02.2023

सेवा में,

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा:- वित्त विभाग।

विषय:- माननीय उच्च न्यायालय, पटना एवं राज्य के व्यवहार न्यायालयों में बिहार सरकार की ओर से वचनबद्ध विधि पदाधिकारियों/विविध अन्य अधिवक्ताओं तथा सम्बद्ध कनीय/सहायक अधिवक्ताओं एवं निजी लिपिकों के शुल्क का पुनर्निर्धारण के संबंध में।

.....

आदेश:- स्वीकृत।

2. CWJC No.-16775/2022 (सत्यम शिवम सुन्दरम बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-22.12.2022 एवं दिनांक-23.12.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय, पटना तथा राज्य के व्यवहार न्यायालयों में बिहार सरकार की ओर से वचनबद्ध विभिन्न कोटि के विधि पदाधिकारियों/अन्य अधिवक्ताओं तथा उनके साथ सम्बद्ध कनीय/सहायक अधिवक्ताओं/निजी लिपिकों के पूर्व निर्धारित शुल्क के संबंध में मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति द्वारा दिनांक-17.02.2023 को विचार-विमर्श किया गया। समिति द्वारा यह महसूस किया गया कि उनके शुल्क में वृद्धि वांछनीय है।

3. उच्चस्तरीय समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरांत की गयी अनुशंसा के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय, पटना तथा राज्य के व्यवहार न्यायालयों में बिहार सरकार की ओर से वचनबद्ध विभिन्न कोटि के विधि पदाधिकारियों/विविध अन्य अधिवक्ताओं तथा उनके साथ सम्बद्ध कनीय/सहायक अधिवक्ताओं एवं निजी लिपिकों को पूर्व निर्धारित शुल्क के स्थान पर निम्न मासिक शुल्क निर्धारित की जाती है:-

क्र0	विधि पदाधिकारी की कोटि	कुल मासिक शुल्क
1	2	3
1	अपर महाधिवक्ता (उच्च न्यायालय)	1,75,000/-
2	राजकीय अधिवक्ता (उच्च न्यायालय)	1,40,000/-
3	सरकारी वकील (उच्च न्यायालय)	1,20,000/-
4	स्थायी सलाहकार (उच्च न्यायालय)	1,20,000/-
5	अपर लोक अभियोजक (उच्च न्यायालय)	70,000/-
6	विशेष लोक अभियोजक (एस०सी०/एस०टी० एक्ट), उच्च न्यायालय	70,000/-
7	सहायक अधिवक्ता (उच्च न्यायालय)	60,000/-

क्र0 सं0	विधि पदाधिकारी की कोटि	कुल मासिक शुल्क
8	विशेष लोक अभियोजक (खनन) उच्च न्यायालय	70,000/-
9	विशेष लोक अभियोजक (खनन) के कनीय अधिवक्ता, उच्च न्यायालय	60,000/-
10	विधि पदाधिकारी (प्रभारी), निगरानी, उच्च न्यायालय	1,20,000/-
11	विधि पदाधिकारी, (निगरानी), उच्च न्यायालय	1,00,000/-
12	विधि पदाधिकारी (प्रभारी), निगरानी के कनीय अधिवक्ता, उच्च न्यायालय	60,000/-
13	जिला के लोक अभियोजक	70,000/-
14	जिला के अपर लोक अभियोजक	50,000/-
15	जिला के विशेष लोक अभियोजक	70,000/-
16	जिला के सरकारी वकील	70,000/-
17	जिला के सहायक सरकारी वकील	50,000/-
18	विशेष लोक अभियोजक (निगरानी)	70,000/-
19	कनीय अधिवक्ता (विशेष लोक अभियोजक, निगरानी)	40,000/-
	विविध अन्य अधिवक्ता	
20	विशेष सरकारी अधिवक्ता (राजस्व पैनल)	70,000/-
21	सहायक सरकारी अधिवक्ता (राजस्व पैनल)	60,000/-
22	सरकारी काउन्सेल (CAT)	1,20,000/-
23	सरकारी काउन्सेल (CAT) के कनीय अधिवक्ता	60,000/-
24	राजकीय अधिवक्ता (झारखंड, राँची)	1,40,000/-
25	कनीय अधिवक्ता (झारखंड, राँची)	60,000/-
26	पैनल अधिवक्ता (बिहार पब्लिक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल)	1,00,000/-

अंशकालीन निजी लिपिक का मानदेय

क्र0 सं0	अंशकालीन लिपिक	मासिक मानदेय
1	2	3
1	महाधिवक्ता, बिहार के अंशकालीन लिपिक	25,000/-
2	विधि पदाधिकारी, उच्च न्यायालय, पटना के अंशकालीन लिपिक	20,000/-
3	विशेष सरकारी अधिवक्ता (राजस्व पैनल) के अंशकालीन लिपिक	20,000/-
4	लोक अभियोजक/सरकारी वकील, व्यवहार न्यायालय के अंशकालीन लिपिक	15,000/-
5	विशेष लोक अभियोजक (खान), उच्च न्यायालय, पटना के अंशकालीन लिपिक	15,000/-

(4) कंडिका-(1) में क्रम संख्या-1 से 26 तक में वर्णित सभी अधिवक्ताओं को निर्धारित कुल मासिक शुल्क का 60 प्रतिशत राशि निश्चित रूप से देय होगी एवं शेष 40 प्रतिशत राशि प्रति कार्य दिवस पर न्यूनतम दो केस की दर से मासिक आधार पर देय होगा। किसी मास में निर्धारित दर से कम केसों की संख्या होने की स्थिति में उक्त 40 प्रतिशत का भुगतान समानुपातिक गणना कर किया जायेगा। समानुपातिक गणना का आधार माह में कुल कार्य दिवस एवं कुल संचालित केसों की संख्या होगी।

(5) उपर्युक्त निर्धारित मासिक शुल्क आदेश निर्गत की तिथि से देय होगा तथा पूर्व निर्गत शुल्क निर्धारण संबंधी विधि विभागीय ज्ञाप संख्या-6949/जे0, दिनांक-16.08.2018, ज्ञाप संख्या-9734/जे0, दिनांक-10.12.2018, ज्ञाप संख्या-5417/जे0, दिनांक-15.06.2022 एवं ज्ञाप संख्या-9412/जे0, दिनांक-18.11.2022 को आदेश निर्गत की तिथि से अवक्रमित समझा जायेगा।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव)

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या-1547...../जे0, पटना, दिनांक-24.02.2023

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना एवं सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव)

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या-1547...../जे0, पटना, दिनांक-24.02.2023

प्रतिलिपि:- महानिबंधक, माननीय उच्च न्यायालय, पटना/विद्वान महाधिवक्ता, बिहार, माननीय उच्च न्यायालय, पटना/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, विधि विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार, पटना/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष, बिहार, पटना/सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार एवं विभागीय आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.2.2023

(ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव)
सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

पत्र संख्या–सी0/ई0एच0–79/2011(खण्ड)...118.../जे0
बिहार सरकार
विधि विभाग

प्रेषक,

अंजनी कुमार सिंह,
सचिव–सह–विधि परामर्शी, बिहार।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभागाध्यक्ष, बिहार, पटना।
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।

पटना, दिनांक–08/01/2025

विषयः– माननीय उच्च न्यायालय, पटना एवं राज्य के व्यवहार न्यायालयों में बिहार सरकार की ओर से वचनबद्ध विधि पदाधिकारियों/विविध अन्य अधिवक्ताओं/प्रशासी विभागों के पैनलीकृत अधिवक्ताओं तथा उनके साथ सम्बद्ध कनीय/सहायक अधिवक्ताओं के मासिक शुल्क के भुगतान प्रकिया से संबंधित दिशा–निर्देश के संबंध में।

प्रसंगः– विधि विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक–1547/जे0, दिनांक–24.02.2023

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रसंगाधीन विधि विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक–1547/जे0, दिनांक–24.02.2023 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना एवं राज्य के व्यवहार न्यायालयों में बिहार सरकार की ओर से वचनबद्ध विधि पदाधिकारियों/विविध अन्य अधिवक्ताओं तथा उनके साथ सम्बद्ध कनीय/सहायक अधिवक्ताओं का मासिक शुल्क का निर्धारण निम्नलिखित शर्त्त के साथ किया गया है:–

"सभी अधिवक्ताओं को निर्धारित कुल मासिक शुल्क का 60 प्रतिशत राशि निश्चित रूप से देय होगी एवं शेष 40 प्रतिशत राशि प्रति कार्य दिवस पर न्यूनतम दो केस की दर मासिक आधार पर देय होगा। किसी मास में निर्धारित दर से कम केसों की संख्या होने की स्थिति में उक्त 40 प्रतिशत राशि का भुगतान समानुपातिक गणना कर किया जायेगा। समानुपातिक गणना का आधार माह में कुल कार्य दिवस एवं कुल संचालित केसों की संख्या होगी।"

निर्धारित मासिक शुल्क के भुगतान प्रक्रिया के संबंध में कतिपय देखा जा रहा है कि कुछ जिला पदाधिकारियों/प्रशासी विभागों द्वारा अधिवक्ताओं के निर्धारित मासिक शुल्क की गणना/भुगतान एवं अन्य कतिपय बिन्दुओं पर दिशा–निर्देश/मार्गदर्शन की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के आलोक में दिशा–निर्देश/मार्गदर्शन के अपेक्षित बिन्दुओं पर मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विभिन्न कोटि के विधि पदाधिकारियों तथा अन्य विविध अधिवक्ताओं के निर्धारित मासिक शुल्क के 60 प्रतिशत तथा 40 प्रतिशत राशि की भुगतान/गणना हेतु महाधिवक्ता कार्यालय, बिहार के स्तर पर विद्वान महाधिवक्ता, बिहार द्वारा समय–समय पर कई पत्र/आदेश निर्गत किये गये हैं, जिसमें उल्लेखित प्रावधानानुसार विभिन्न कोटि के विधि पदाधिकारियों/अन्य विविध अधिवक्ताओं के निर्धारित मासिक शुल्क की गणना/भुगतान संबंधी प्रक्रिया अपनाई जाए।

महाधिवक्ता कार्यालय, बिहार के स्तर पर विद्वान महाधिवक्ता, बिहार द्वारा निर्गत किये गये पत्र/आदेश के अनुसार निम्नलिखित प्रावधान किये गये हैं:–

60 प्रतिशत राशि के संदर्भ में:–

1. विभिन्न कोटि के विधि पदाधिकारियों एवं विविध अन्य अधिवक्ताओं तथा उनके साथ संबद्ध कनीय/सहायक अधिवक्ता को विधि विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक–1547/जे0, दिनांक–24.02.2023 द्वारा निर्धारित मासिक शुल्क 60 प्रतिशत राशि का भुगतान निश्चित रूप किये जाने प्रावधान है, किन्तु यदि कोई अधिवक्ता लंबी अवधि से अनुपस्थित हैं (उनके अल्प अनुपस्थिति को

शामिल नहीं किया जायेगा) तो उसके पूर्व उन्हें सक्षम प्राधिकार से अनुमति लेनी होगी, अन्यथा बिना उचित कारण से अनुपस्थिति की स्थिति में उनके 60 प्रतिशत राशि से भी कटौती की जायेगी।

लंबी अनुपस्थिति के संदर्भ में यदि अधिवक्ताओं की अनुपस्थिति 07 (सात) न्यायालीय कार्य दिवसों से अधिक है तो लंबी अनुपस्थिति मानी जायेगी। 07 (सात) न्यायालीय कार्य दिवसों में अनुपस्थिति को अनुमान्य किया जायेगा, किन्तु यदि किसी अधिवक्ता की अनुपस्थिति 08 (आठ) है तो 07 (सात) अनुपस्थिति कार्य दिवसों को उसमें शामिल किया जायेगा तथा तद्नुसार अनुपातिक गणना के आधार पर 60 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जायेगा।

उदाहरणः–

अपर महाधिवक्ता (AAG) के मामले में

मासिक शुल्क	– 1,75,000/–
60 प्रतिशत राशि	– 1,05,000/–
अनधिकृत रूप से अनुपस्थिति	– **08 कार्य दिवस**
अनुपस्थिति का माह	– **दिसम्बर (31 दिन)**
कटौती की राशि	– **1,05,000*8/31**
	=27,097 (R/O)

इसलिए 60 प्रतिशत राशि के अन्तर्गत माह दिसम्बर के लिए भुगतेय राशि होगा–

1,05,000-27,097

77,903/-(सतहत्तर हजार नौ सौ तीन)

2. जो पैनल अधिवक्ता किसी न्यायालय अथवा अर्द्ध न्यायिक न्यायालय के द्वारा निर्धारित तिथि पर अथवा न्यायालय द्वारा बुलाये जाने पर सदा तैयार रहते हो अथवा सदा कार्य करने की स्थिति (Working Mode) में हो, तो वैसे सभी अधिवक्ताओं को न्यायालय/अर्द्धन्यायिक न्यायालय के एक सप्ताह से भी कम अथवा शून्य कार्य दिवस होने की स्थिति में भी विधि विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक–1547/जे0, दिनांक–24.02.2023 द्वारा निर्धारित मासिक शुल्क का 60 प्रतिशत राशि का भुगतान निश्चित रूप से किया जायेगा।

3. यदि कोई अधिवक्ता अपनी नियुक्ति के पश्चात् किसी भी प्रकार के वादों का संचालन नहीं करते हैं और न ही किसी कार्यवाही में उनके द्वारा भाग लिया जाता है तो उस स्थिति में उन्हें निर्धारित मासिक शुल्क का 60 प्रतिशत राशि भुगतेय नहीं होगा।

4. माननीय उच्च न्यायालय, पटना, व्यवहार न्यायालय या किसी अन्य न्यायाधिकरण के समक्ष बिहार सरकार द्वारा नियुक्त वैसे अधिवक्ता, जो सरकारी अधिवक्ता के रूप में कार्य नहीं किये हैं या सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना अनुपस्थित रहते हैं तो उन्हें निर्धारित मासिक शुल्क का 60 प्रतिशत राशि भुगतेय नहीं होगा।

40 प्रतिशत राशि के संदर्भ में:–

1. सभी अधिवक्ताओं को निर्धारित कुल मासिक शुल्क का 40 प्रतिशत राशि प्रति कार्य दिवस पर न्यूनतम दो केस की दर मासिक आधार पर दिये जाने का प्रावधान है। किसी मास में निर्धारित दर से कम केसों की संख्या होने की स्थिति में उक्त 40 प्रतिशत राशि का भुगतान समानुपातिक गणना कर किया जायेगा। समानुपातिक गणना का आधार माह में कुल कार्य दिवस एवं कुल संचालित केसों की संख्या होगी।

उदाहरणः–

अपर महाधिवक्ता (AAG) के मामले में:–

मासिक शुल्क	– **1,75,000/-**
40 प्रतिशत राशि	– **70,000/-**

न्यायालय कार्य दिवसों की संख्या–20 (मान लिया जाय)

कृ0पृ030

20 कार्य दिवसों में न्यूनतम 02 केस प्रतिदिन की दर से कुल संचालित केसों की संख्या 40 (मानक) 40 केसों के संचालन पर पूर्ण स्वीकार्य राशि 70,000/- देय होगा।

यदि किसी मास में 40 से कम केसों का संचालन किया जाता है तो भुगतान की जाने वाली अनुपातिक राशि की गणना निम्नानुसार की जायेगी:-

कुल 40 प्रतिशत राशि मात्र 70,000/-

प्रति केस राशि = 70,000/40=1750/-

उस माह में अधिवक्ताओं द्वारा प्रति कार्य दिवस पर न्यूनतम 02 केस की दर से संचालित केसों की कुल संख्या 35 (मान लिजिए)

इसलिए 40 प्रतिशत राशि के अन्तर्गत देय राशि होगा = 1750X35=61,250/-

<u>नोट:-</u>

अधिवक्ताओं के निर्धारित मासिक शुल्क की गणना के संदर्भ में यदि किसी न्यायालीय कार्य दिवसों में 02 केस (मानक) से अधिक केसों का संचालन किया जाता है तो उस कार्य दिवसों में कुल संचालित केसों की संख्या 02 ही मानी जायेगी।

2. सामान्यतः Passover, carry forward या adjournement की स्थिति में अधिवक्ताओं द्वारा किये गये दावों को अनुमान्य नहीं किया जायेगा, परन्तु यदि अधिवक्ताओं द्वारा इस तरह के न्यायालय की कार्यवाही के लिए शुल्क का दावा किया जाता है तो उसे प्रतिहस्ताक्षरित प्राधिकार से इस आशय का प्रमाण पत्र लेना होगा कि उनकी उपस्थिति और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने के बावजूद Passover, carry forward या adjournement हुआ, तो शुल्क अनुमान्य होगा।

सुलभ प्रसंग हेतु महाधिवक्ता कार्यालय, बिहार के स्तर पर विद्वान महाधिवक्ता, बिहार द्वारा विभिन्न कोटि के विधि पदाधिकारियों/विविध अन्य अधिवक्ताओं तथा उनके सम्बद्ध कनीय/सहायक अधिवक्ताओं के निर्धारित मासिक शुल्क के गणना/भुगतान प्रक्रिया से संबंधित निर्गत पत्र/आदेशों की छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अनु0:-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(अंजनी कुमार सिंह)
सचिव-सह-विधि परामर्शी, बिहार।

ज्ञाप संख्या 118 **/जे0, पटना, दिनांक-** 08/01/2025

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, विधि विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/विद्वान महाधिवक्ता, बिहार, उच्च न्यायालय, पटना एवं आई0टी0 मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07.01.25

(अंजनी कुमार सिंह)
सचिव-सह-विधि परामर्शी, बिहार।
03.01.25